

# प्रेस नोट

07.02.2021

## गैंगेस्टर एक्ट में वांछित एक अभियुक्त गिरफ्तार—

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 07.02.2021 को थाना **कोपागंज** पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान बाड़ा के पास से मु0अ0सं0 39/21 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट में वांछित अभियुक्त रामसरिख पुत्र बालकिसुन निवासी बाड़ा थाना कोपागंज जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

## शांति भंग की आशंका में 07 व्यक्ति गिरफ्तार—

आज दिनांक 07.02.2021 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना **हलधरपुर** पुलिस द्वारा रामइकबाल यादव, अमरजीत यादव निवासीगण भुड़सुड़ी थाना हलधरपुर, थाना **मधुबन** पुलिस द्वारा लालबहादुर निवासी करौदी नारायणपुर थाना मधुबन, थाना **रानीपुर** पुलिस द्वारा लक्ष्मण सिंह, अवधेश सिंह निवासीगण चितबिसाव, मनीष निवासी मण्डुसरा थाना रानीपुर, थाना **सरायलखंसी** पुलिस द्वारा प्रभुनाथ साहनी निवासी बभनीकोल थाना सरायलखंसी जनपद मऊ को अन्तर्गत धारा 151 सीआरपीसी गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

## ऐच्छिक ब्यूरो के प्रयास से 27 मामलों में से 04 मामलों का हुआ निस्तारण—

महिला ऐच्छिक ब्यूरो की बैठक रविवार को पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सुशील घुले के निर्देशन और सीओ मधुबन राजकुमार सिंह के देखरेख में हुआ। इस दौरान ऐच्छिक ब्यूरो में कुल 27 मामले आए, जिसमें सदस्यों के प्रयास से चार मामलों का निस्तारण हुआ। जिसमें एक मामले में पक्षकारों के बीच सुलह न होने के चलते पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दी गई। वही तीन मामलों में पक्षकारों की सहमति से पत्रावली निस्तारित कर दी गई। बैठक में 23 मामलों में एक— एक पक्ष उपस्थित हुआ। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 21 फरवरी 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। ऐच्छिक ब्यूरो के सदस्यों ने जुवैदा खातून और फिरोज अहमद के मामले में पक्षकारों के बीच सुलह न होने के चलते पत्रावली अग्रिम कार्यवाही के लिए अग्रसारित कर दिया। वही संगीता और प्रवीण, कुसुम और राजकुमार तथा सहाना और मुश्ताक के मामले में पक्षकारों की सहमति से पत्रावली निस्तारित कर दी गई। तथा शेष 23 मामलों में एक एक पक्षकार उपस्थित हुए। जिसके चलते बैठक की अगली तिथि 21 फरवरी 2021 नियत कर पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने का निर्देश दिया गया। बैठक में प्रतिसार निरीक्षक विजय कुमार सिंह, ब्यूरो के सदस्यगण सर्वेश दूबे, इब्राहिम सेवक, मौलवी अरशद, डा. एम ए खान, अर्चना उपाध्याय, महिला आरक्षी प्रीति दुबे और सोनी सिंह ने अपना योगदान दिया। इस दौरान काफी संख्या में पक्षकार व उनके परिजन उपस्थित रहे।